रजिस्ट्री सं. डी. (डी. एन.)-72 REGISTERED NO. D. (D.N.)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 222] नई दिल्ली, शनिवार, जून 23, 1984/आषाढ 2, 1906
No. 222] NEW DELHI, SATURDAY, JUNE 23, 1984/ ASADHA 2, 1906

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 23 जून, 1984

सं. 187/84-सीमाशुल्क

सा. का. नि. 468(अ).—केन्द्रीय सरकार सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अपना यह समाधान हो जाने पर कि लोक हित में ऐसा करना आवश्यक है, भारत सरकार की वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं 257/83-सीमा-

शुल्क, तारीख 1 सितम्बर, 1983 का निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् —

उक्त अधिसूचना में, शर्त (2) (1) (ग) में, "आठ वर्ष" शब्दों के स्थान पर "पांच वर्ष" शब्द रखे जाएंगे ।

[फा सं एस/9/84-टी आर यू]
सी वरदाराजन, अवर सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 23rd June, 1984

No. 187|84-CUSTOMS

G. S. R. 468(E):—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Government, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby makes the following further amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue) No. 257|83-Customs dated the 1st September, 1983, namely :—

In the said notification in condition (ii) (1)(c), for the words "eight years", the words "five years" shall be substituted.

[F. No. S|9|84-TRU]
C. VARADARAJAN, Under Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1984